

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री Vacouro Leather (India) Pvt LTD., 30A, Dhawal Giri Apartments,
Sector-11, Noida.
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 013 / 14, 12.02.2014
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री Vacouro Leather (India) Pvt LTD., 30A, Dhawal Giri Apartments, Sector-11, Noida. द्वारा दिनांक 12.02.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये हैं :-

- i. Whether the applicant can claim input credit of VAT which was paid by applicant at the time of Purchase of Rep License from Uttar Pradesh against Tax Invoice that the purchase of Rep License is equivalent to purchase of goods under Uttar Pradesh Value Added Tax Act as per Entry N0. 3 of Schedule II A read as “ All Intangible goods like Copyright, Patent, Rep License etc transfer of right to use goods. ”
 - ii. Whether applicant can issue Form ‘ C ’ for the purchase of Rep License from outside Uttar Pradesh.
2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 06.08.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।
3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-1431, दिनांक 04.03.2014 से प्रेषित बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-
1. व्यापारी Rep License की खरीद-बिक्री नहीं करते हैं । आयातित माल पर Rep License के माध्यम से कस्टम ड्यूटी का भुगतान करते हैं । Rep License की कोई बिक्री नहीं की जाती है इसलिए प्रान्त अन्दर से टैक्स इनवायस के माध्यम से खरीद करने पर भी आईटी0सी0 देय नहीं है ।
 2. व्यापारी केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण-पत्र में Rep License की खरीद हेतु अधिकृत नहीं है । केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-12 (3) एवं नियम-12 (1) के अनुसार ही केन्द्रीय खरीद के विरुद्ध फार्म-सी जारी किया जा सकता है । व्यापारी द्वारा All Intangible goods की खरीद फार्म-सी के विरुद्ध नहीं की जा सकती है । ऐसा करने पर फार्म-सी का दुरुपयोग माना जायेगा ।
 4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं । ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, गौतम बुद्ध नगर की आख्या के अनुसार Rep License की

सर्वश्री Vacouro Leather (India) Pvt LTD. / प्रा0 पत्र सं0-013 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2

खरीद-बिक्री का व्यापार न होने के कारण प्रार्थी को टैक्स इनवायस से प्रान्तीय खरीद पर आई0टी0सी0 देय नहीं है तथा न ही वे Rep License की केन्द्रीय खरीद के सम्बन्ध में फार्म-सी जारी करने के लिए, केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण-पत्र के अनुसार, अधिकृत है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थी द्वारा पूछे गये दोनों प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान निम्न प्रकार है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है-

चूँकि प्रार्थी द्वारा आई0टी0सी0 एवं केन्द्रीय खरीद के विरुद्ध फार्म-सी जारी करने के लिए अधिकृत होने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान से आच्छादित नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-ए, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा टैक्स इनवायस के माध्यम से Rep License की प्रान्तीय खरीद पर आई0टी0सी0 की देयता तथा Rep License की केन्द्रीय खरीद के सम्बन्ध में फार्म-सी जारी करने हेतु अधिकृत होने या न होने के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया है वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है जिसके कारण उत्तर दिया जाना अभीष्ट नहीं है। अतः ग्राह्य न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 08 अगस्त, 2014

ह0 / 08.08.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।